प्राचार्य का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL
राजकीय पोलिटेकनिक खगड़िया
GOVERNMENT POLYTECHNIC KHAGARIA

पत्रांक :–.2233../खगड़िया दिनांकः–.06./.08./2026

छात्रावास नियम एवं प्रावधान

1. छात्रावास परिसर में किसी भी बाहरी व्यक्ति को छात्रावास अधीक्षक/वार्डन की पूर्व अनुमति के बिना प्रवेश या ठहरने की अनुमति नहीं होगी।
2. कोई भी छात्र–छात्रा अपने कमरे में बहुमूल्य सामान नहीं रखेंगे।
3. छात्रावास से बाहर जाने एवं वापस आने के लिए संस्थान द्वारा निर्धारित समय (शाम 6:30 बजे (बालक)/6:00 बजे (बालिका) अथवा अँधेरा होने के पहले) का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. छात्रावास से बिना अनुमति बाहर जाना अथवा रात्रि में बाहर रूकना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
5. छात्रावास परिसर में धूम्रपान, तंबाकू, अथवा किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन एवं संग्रह पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस नियम के उल्लंघन पर छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा।
6. संस्थान/छात्रावास परिसर में रैगिंग सख्त वर्जित है, किसी भी छात्र–छात्रा का रैगिंग में संलिप्तता पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
7. प्रत्येक छात्र/छात्रा के लिए नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। कक्षा संचालन के समय छात्रावास में रूकना (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) वर्जित होगा।
8. यदि किसी छात्र/छात्रा की नियमित उपस्थिति 75: से कम पाई जाती है, तो संस्थान छात्रावास की सुविधा समाप्त कर सकता है।
9. छात्रावास परिसर की स्वछता, शांति एवं अनुशासन बनाए रखना प्रत्येक छात्र/छात्रा का दायित्व होगा।
10. छात्रावास के कमरों में हीटर, गैस चूल्हा, इंडक्शन का उपयोग नहीं किया जाएगा।
11. वार्डन की अनुमति के बिना किसी भी छात्र/छात्रा को अपना कमरा बदलने की अनुमति नहीं होगी।
12. सभी छात्र–छात्राओं को निदेशित किया जाता है कि वे छात्रावास के मेस में ही खान–पान करें एवं पानी का दुरूपयोग ना करें। साथ ही अनावश्यक बिजली का उपयोग ना करें।
13. छात्रावास में रहने वाले सभी छात्र–छात्राओं को कमरे के बाहर/ कॉरिडोर में पहनावे की मर्यादा रखनी होगी।
14. छात्र–छात्राएँ अपने कमरे, बरामदे और आस–पास के क्षेत्रों को हर समय साफ–सफाई में रखेंगे। कचरा कूड़ेदान के अलावा और कहीं ना हों। छात्रावास में यहाँ–वहाँ थूकना मना है।
15. संस्थान के वैसे छात्र–छात्राएँ जो छात्रावास में नहीं रहते हैं, उनको छात्रावास में आने की एवं रात में रूकने की अनुमति नहीं होगी।
16. संस्थान परिसर में लगे किसी भी उपकरण को क्षति पहुँचाने पर छात्र–छात्राओं के विरूद्व उचित कार्रवाई की जाएगी।
17. छात्र–छात्राओं को संस्थान परिसर से बाहर जाते और अन्दर आते समय अपने आने और जाने का समय संस्थान के मुख्य दरवाजे पर सुरक्षा प्रहरी के समझ अपनी उपस्थिति कारण के साथ अंकित करनी होगी।
18. संस्थान के छात्रावास से बाहर जाने से पूर्व छात्र–छात्राओं को छात्रावास प्रशासन को इसकी सूचना देनी होगी। बिना सूचना दिए छात्रावास से बाहर जाने पर उचित कार्रवाई होगी।
19. छात्र–छात्राएँ किसी भी साम्प्रदायिक गतिविधि जो कानून व्यवस्था के विरूद्व हो या संस्थान के खिलाफ हों, में शामिल नहीं होंगे।
20. किसी भी अनुशासनहीनता या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संस्थान द्वारा आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा छात्रावास से भी निष्कासित किया जा सकता है।
21. छात्र/छात्रा संस्थान एवं छात्रावास प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी सभी नियमों एवं निदेशों का पालन करेंगे।

Sanjiv
06/08/2026
प्राचार्य
राजकीय पोलिटेकनिक खगड़िया
Priyanka Kumari
06/08/2026

पता :– ग्राम + पो0 – महद्दीपुर, थाना – पसराहा, खगड़िया – 851212
Add.:- Vill+Po – Mahaddipur, Ps – Pasraha, Khagaria - 851212
Email – gpkhagaria@gmail.com website: gpkhagaria.ac.in

Office Order